Herbal & Ayurvedic Product abroad under Promotional Scheme for Herbal Products Manufacturing industrial units

विदेशों में आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों के पंजीयन हेतु प्रोत्साहन योजना।

मध्यप्रदेश के वनों में प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता होने के कारण यहां औषधीय पौधों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है। इन जड़ी बूटियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा इनके निर्यात संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषिधियों/उत्पादों के निर्माता/व्यवसाईयों/ निर्यातकों को उनके उत्पादन विदेश में पंजीकृत करवाने हेतु विशेष योजना तैयार की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषिधियों/ उत्पादों के निर्माता व्यवसाईयों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत विशेष सहायता निम्नानुसार प्रदान की जा सकेगीः–

1. योजना के अंतर्गत सहायता :–

इस योजना के अंतर्गत उत्पादों के पंजीयन शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.00 लाख प्रति आयटम की सीमा निर्धारित है। एक निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक एक वर्ष में एक आयटम के पंजीयन हेत सहायता प्राप्त कर सकता है।

2. पंजीयन राशि का पुनर्भुगतान का आधार :–

(अ) विदेश में उत्पाद के पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयन संस्था द्वारा उत्पाद को पंजीयन हेतु योग्य पाये जाने का प्रमाण पत्र।

(ब) विदेश में संबंधित संस्था को उत्पाद का पंजीयन कराने हेतु भुगतान किये गये शुल्क की मूल रसीद या प्रमाण पत्र।

3. योजना में भाग लेने हेतु निहित शर्तें :–

(1) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन के पंजीकृत निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(2) इस योजना के अंतर्गत निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक को पूर्ण कालावधि में एक बार सहायता प्रदान की जावेगी।

(3) आयात निर्यात नीति के अंतर्गत विधि सम्मत नियमों के तहत ही इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा सकेगी।

(4) विदेश में उत्पाद के पंजीयन हेतु प्राप्त की जाने वाली सहायता किसी एक शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्था से प्राप्त की जा सकेगी।

(5) निर्माता/व्यवसाई/निर्यातक संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों का विक्रय विवरण एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

(6) इस योजना के अंतर्गत मध्यम एवं छोटे निर्यातकों/व्यवसाईयों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(7) योजना अंतर्गत पंजीयन शुल्क का भुगतान भुगतानार्थ प्रस्तुत किये गये रसीद/प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण/भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात किया जावेगा।

(8) सुविधा स्वीकृति के दिनांक से इकाई को आगामी तीन वर्ष तक चालू रखना आवश्यक है।

(9) इस योजना के अंतर्गत व्यय का पुनर्भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एक माह में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

(ब) उत्पाद के पंजीकृत विदेश स्थित संस्था का सम्पूर्ण विवरण।

(स) उत्पाद से संबंधित जानकारी यथा उत्पादन क्षमता उत्पाद का उपयोग आदि।

(द) इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आवंटन की छायाप्रति।

(य) उत्पाद से संबंधित निर्यात संवर्धन परिसर की सदस्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति

(र) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन की पंजीयन की छायाप्रति।

(ल) पंजीयन शुल्क की केन्द्र शासन द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की रसीद/पावती। यदि प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है तो इसके लिए किये गये आवेदन पत्र की प्रति एवं उसकी केन्द्र शासन के कार्यालय की पावती। यदि केन्द्र शासन से प्राप्त सहायता रूपये 1.00 लाख से कम होगी तो ही इस योजना के अंतर्गत शेष राशि प्राप्त करने की आर्हता होगी।